

पत्रांक-अ०सं०क०-०८-१३-२०१२ 1518 /

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फौजी
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

ईगैठ

सभी सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
बिहार।

पटना, दिनांक 10.06.2022

विषय :-

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए लाभार्थियों के चयन के निमित्त अद्यतन संशोधित मूल्यांकन पत्रक उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत लाभुकों के चयन को सरल बनाने हेतु वर्तमान मूल्यांकन पत्रक में संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए संशोधित मूल्यांकन पत्रक पत्र तैयार किया गया है जो इस पत्र के साथ सलग्न है।

2. उपरोक्त पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन


संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए संशोधित मूल्यांकन पत्रक

क्र.सं.	मापदण्ड के बिन्दु	मापदण्ड के उप बिन्दु	अंक
1	आवेदक की शैक्षणिक/व्यवसायिक एवं अन्य योग्यता	मैट्रिक/समकक्ष या इरासे उच्चतर/छोटे व्यवसायी/शिल्पकार	10
2	केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त।	तीन माह या उससे अधिक का पाठ्यक्रम	15
3	महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु	महिला	10
4	कमजोर वर्ग को वरीयता	विकलांग/परित्यक्ता/विधवा	05
5	आयु के आधार पर वरीयता	18 वर्ष से अधिक एवं 25 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए	10
		25 वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए	07
		30 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए	05
		35 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए	03
6	सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी संस्था/संघ/SHG के सदस्य		10

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक